22.10.2024:—पत्रावली पेशी मे ली गई। उभयपक्ष अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी का मूल वाद पत्र मे निर्णय हो गया। इसलिए मूल वाद पत्र निर्णय होने के कारण प्रार्थना—पत्र मे कोई कार्यवाही शेष नही रह जाती। मूल वादपत्र निर्णय होने के कारण प्रार्थी का उक्त प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. मे वर्तमान स्तर पर खारिज कि जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरबीज तकमील दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2024.10.30 12:48:51 IST
Reason: SelfAttested